न्यायालय : अपर अपर सत्र न्यायाधीश, छह, नवादा।

सत्र वाद सं.–62 / 2011

145 / 2019

20.11.19 अभियुक्त चांदो चौधरी की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ हाजिरी दी गयी है। अभियुक्त राहुल कुमार की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया गया है जिसे सिर्फ आज के लिये स्वीकार किया जाता है। राज्य की हाजिरी है। सूचक की ओर से दिनांक–18.11.19 को दाखिल आवेदन की प्रति बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को आज प्रदान करायी गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत धारा–311 द.प्र.सं. के आवेदन पर एवं बचाव पक्ष की ओर से उसका दाखिल प्रत्तयुतर पर उभयपक्ष को सुना।

आदेश

अभियोजन की ओर से धारा–311 द.प्र.सं. के अन्तर्गत एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा गया है कि इस मामले में आरोप पत्र के सभी साक्षी परीक्षित किये जा चुके हैं और अभिलेख बयान हेतु निश्चित है किन्तु कुछ कागजातों को प्रदर्श अंकित कराया जाना आवश्यक है। अतः न्याय हित में औपचारिक साक्षी के रूप में राज कुमार, अधिवक्ता लिपिक का साक्ष्य लिये जाने की कृपा की जाये। जब कि बचाव पक्ष की ओर से प्रत्तयुतर दाखिल कर कहा गया है कि अभिलेख बयान दर्ज करने हेतु निश्चित है। बयान दर्ज किये जाने के बाद उनका आवेदन सुना जाये। अभियोजन का यह आवेदन पोषणीय नहीं है। उसे न्याय हित में खारिज किया जाये।

सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आरोप पत्र के साक्षियों का साक्ष्य हो चुका है। अभियोजन की ओर से कुछ कागजातों को प्रदर्श अंकित कराये जाने हेतु औपचारिक साक्षी के रूप में एक साक्षी राजकुमार, अधिवक्ता लिपिक का साक्ष्य कराये जाने का निवेदन किया गया है। धारा–311 द.प्र.सं. के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यदि न्यायालय यह समझे कि किसी साक्षी का साक्ष्य उस मामले के उचित न्याय निर्णयण हेतु आवश्यक है तो न्यायालय न्याय हित में मामले के किसी भी चरण में साक्ष्य हेतु आदेश दे सकती है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियोजन की ओर से दाखिल आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक 02.12.19 को सूचक की ओर से दिनांक–18.11.19 को दाखिल आवेदन पर बचाव पक्ष की ओर से प्रत्तयुतर दाखिल करने एवं सुनवाई हेतु रखा जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या.,छह